डिजिटलीकरण से सशक्त होता भारतीय लोकतंत्र : डिजिटल लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम

कुमारी प्रीति [1], डॉ ममता उपाध्याय [2] , शशांक त्रिपाठी [1]

शोधार्थी [1] , प्रोफेसर [2]

राजनीति विज्ञान विभाग

कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

संबद्ध : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय , मेरठ (उ.प्र.) , भारत

शोध सारांश : वर्तमान समय को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साम्राज्य का युग कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी , क्योंकि हमारी दैनिक जीवन की लगभग सभी गतिविधियाँ आज किसी न किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी से जुड़ी हैं । ऐसे में राजनीतिक व्यवस्थायें एवं सरकारी तंत्र की गतिविधियाँ इससे कैसे अछूती रह सकती हैं । डिजिटल इंडिया व ई - गवर्नेंस पहलों के प्रभाव से भारत अब एक डिजिटल लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित हो रहा है । प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से प्रभावित डिजिटल लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझना है , साथ ही यह जानने का प्रयास भी करना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सहायक हैं । इस अध्ययन के माध्यम से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कारण लोकतंत्र के लिए उत्पन्न कुछ विशेष चुनौतियाँ को भी पहचानने का प्रयास किया गया है । इसके साथ ही नागरिक केंद्रित पहलों व नई तकनीकी के समावेशन जैसे तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है | जिसमें यह जानने का भी प्रयास किया गया है कि , डिजिटल नवाचार के कारण राष्ट्र में उन्नति के साथ – साथ , शासन में पारदर्शिता , जवाबदेहिता व जन भागीदारी किस प्रकार बढ़ी है ।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र एवं ई - लोकतंत्र , सूचना प्रौद्योगिकी , ई - गवर्नेन्स , इंटरनेट , डिजिटल भारत

अनुसंधान क्रियाविधि : प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक प्रकृति का है । शोध पत्र के लेखन के लिए द्वितीयक प्रकार के आँकड़ो का प्रयोग किया गया है , जिसका स्रोत पुस्तकें , समाचार पत्र व पत्रिकाएँ , पूर्व में प्रकाशित शोध पत्र एवं इन्टरनेट ब्लॉग हैं ।

परिकल्पना : प्रौद्योगिकी और इन्टरनेट ने सरकार में जन भागीदारी बढ़ा कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है तथा अनेकों सरकारी सुविधाओं को जनता के द्वार ला दिया है | लोकतंत्र के इस डिजिटलीकरण ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाया है |

शोध का औचित्य व उद्देश्य : प्रस्तुत शोध डिजिटल लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों को जानने का उद्देश्य रखता है | साथ ही प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से , वर्तमान में प्रचलित उन सभी पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है , जो वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था में जन भागीदारी को मजबूत बनाने में सहायक हैं । प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव से जहाँ एक तरफ शासन की जवाबदेहिता व पारदर्शिता बढ़ी है , वही दूसरी तरफ इसके कारण कुछ चुनौतियां और नकारात्मक परिणाम भी उत्पन्न हुए हैं | प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से इन सभी तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है |

परिचय : लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है , जिसमे लोगों को वोट डालकर अपने पसंद का शासक चुनने का अधिकार होता है । किसी भी लोकतांत्रिक देश का मूल उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है , जहाँ सभी नागरिको की आवाज को महत्व दिया जाए । यह समानता के सिद्धान्त पर आधारित है , जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है । लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन व्यवस्था में जनता की एक सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है , जिसमें ग्राम स्तर से लेकर जिला व देश स्तर तक , सभी लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं । एक मजबूत लोकतंत्रीय व्यवस्था में पारदर्शिता , जवाबदेहिता , उच्च जन भागीदारी , समानता पर आधारित चुनावी व्यवस्था , निष्पक्ष चुनाव जैसी विशेषतायें मुख्य रूप से पाई जाती हैं । बदलते समय के साथ लोकतंत्र के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिला है । इंटरनेट की बढ़ती प्रचुरता के साथ अब लोग सोशल मीडिया के माध्यम

से सरकार से जुड़ने लगे हैं , वहीँ दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी तरफ से ऐसे विभिन्न प्रयास किए हैं , जिससे जनता के विचार एवं माँगो को समझ सके । वर्तमान में स्थापित डिजिटल लोकतंत्रीय व्यवस्था इन सभी विशेषताओ को मजबूत करने में मदद करती है | हाल ही में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के प्रयासों में मोदी सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उनमे मुख्य है - माय गवर्मेंट एप्प , उमंग एप्प , तथा मन की बात । सरकार द्वारा उठाई गई इन सभी पहलों का मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था की जानकारी जनता तक पँहुचाना तथा जनता की राय को जानना है । इस प्रकार से वर्तमान लोकतंत्र एक डिजिटल लोकतंत्र की ओर अग्रसित हो रहा है । वही दूसरी ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) की बढ़ती भूमिका ने राजनीतिक , सामाजिक , आर्थिक के साथ लगभग सभी आयामों को प्रभावित किया है |

इंटरनेट की बढ़ती सुविधा एवं उपयोगिता ने शासन व्यवस्था एवं सरकार से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को जन - जन तक पहुँचाना सरल कर दिया है । अब नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं है , बल्कि केवल एक क्लिक के माध्यम से वह सम्बन्धित वेबसाइट का प्रयोग कर , सभी जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं । सरकार की नीति - निर्माण प्रक्रियाओं एवं निर्णय लेने में इन्टरनेट की वजह से बढ़ी नागरिकों की भागीदारी ने , लोकतंत्र को और अधिक सशक्त किया है । लोकतंत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग , लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है , जहाँ वह अपने हितों व विचारो को सरकार के सामने अभिव्यक्ति कर सकते हैं । ई - लोकतंत्र की शुरुआत 20वी सदी के अंत मे इंटरनेट के साथ हुई , जब विभिन्न सरकारी विभागों , कार्यालयों की जानकारी एवं ब्यौरा वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होने लगा । वर्तमान युग मे जँहा इंटरनेट व सोशल नेटवर्किंग साइट लोगों के दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है | ऐसे में सरकार की नीतियों , निर्णयों को जन सुलभ बनाकर व सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित कर लोकतंत्र का डिजिटलीकरण करना , वर्तमान की आवश्यकता बन गया है ।

भारत मे लोकतंत्र की अवधारणा व स्वरूप : भारत दुनिया का सबसे मजबूत एवं बड़ा लोकतांत्रिक देश है । भारत में लोकतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान के अंतर्गत हुई । लोकतंत्र के इस स्वरुप का मुख्य आधार स्वतंत्र , निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली है । लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाना , लोगों की शासन तंत्र में सक्रिय भागीदारी , कानून का शासन , नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता , उत्तरदायी सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दल व दवाब समूह की उपस्थिति जैसी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं । भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है , सभ्यता के आदि काल में भी भारत में लोकतंत्र से जुड़े लक्षण दिखाई देते हैं | भारतीय लोकतंत्र जनता की विभिन्न आकांक्षाओं में एकजुटता स्थापित कर विभिन्नता में एकता स्थापित करने का प्रयास करता है । भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा तीसरी दुनिया के देशों में एक मजबूत शासन व्यवस्था का उदाहरण पेश करती है | भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है , जो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है | साथ ही भारत में बहुदलीय प्रणाली है , जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते है तथा जनता अपने पसंद के उम्मीदवारों का चयन करती है | भारतीय संविधान में लोकतंत्र को एक मजबूत नीव प्रदान की गयी है , लेकिन इसकी सफलता नागरिकों की जागरूकता , राजनीतिक पारदर्शिता और सामाजिक समानता पर निर्भर करती है । साथ ही बदलते समय के साथ इसने अपने स्वरूप में भी परिवर्तन किया है । सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस समय मे सरकार ने अपने शासन तंत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने का निरन्तर प्रयास किया है तथा ई - गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है । इसी दिशा में डिजिटल इंडिया वर्तमान सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है । भारत में लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत होने के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं एवं चुनौतियां भी हैं , जिन्हें प्रौद्योगिकी व ई - गवर्नेंस की मदद से सुधारा जा सकता है । किसी भी देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझने के लिए इसके मापदण्डों को जानना आवश्यक है । विभिन्न मापदण्डों को जानकर हम लोकतंत्र की क्रियाशीलता को समझ सकते हैं । इसके कुछ महत्वपूर्ण मापदंड इस प्रकार हैं -

- कानूनी समानता
- शासकों की जवाबदेही , शासन में पारदर्शिता

- नागरिको व सरकार के मध्य सुलभ सूचना प्रवाह
- नीति निर्माण व निर्णय निर्धारण में जन भागीदारी

डिजिटल लोकतंत्र : डिजिटल लोकतंत्र , लोकतंत्र का एक नवीनतम मॉडल है , जिसमे प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया जाता है । डिजिटल लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है , जिसमें नागरिक सूचना तकनीकों , इंटरनेट और डिजिटल संचार के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं । इसका मुख्य उद्देश्य जनता और सरकार के बीच एक डिजिटल सेतु बनाना है , जिससे नीति-निर्माण में अधिक पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित हो सके | लोकतंत्र में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है तथा इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के समय में एक बेहतरीन जरिया हैं । ई - लोकतंत्र का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं और जनता के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना तथा लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी , समावेशी और समग्र रूप से जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है । सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के विकास ने लोकतंत्र को नया आयाम दिया है । पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ , जो पहले कागज़ी दस्तावेज़ों और प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित थी , अब डिजिटल माध्यमों से अधिक पारदर्शी, सहभागी और कुशल बन रही हैं । भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग शासन , चुनावी प्रक्रिया , नागरिक भागीदारी और सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है । सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घर बैठे जुड़ सकते है तथा अपने विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकते हैं | ऐसे में चुनाव से पूर्व किसी भी राजनीतिक दल के प्रति सभी अपना अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं , इसके साथ ही कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनावी एजेंडे को प्रत्येक नागरिक तक आसानी से पहुंचा सकता है |

डिजिटल इंडिया व ई - गवर्नेंस : डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में स्थापित करना है , यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 2015 में आरम्भ किया गया | इसके मुख्य 9 स्तम्भ है , जिसमे शामिल हैं - ब्रॉडबैंड हाइवे , मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच , पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम , ई - गवर्नेंस , ई - क्रांति , सभी के लिए सूचना , इलेक्ट्रॉनिक

विनिर्माण , नौकरी के लिए आई.टी. एवं अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम । डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्रकृति का है , जो यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सेवायें डिजिटल रूप से नागरिको के लिए उपलब्ध हो । इस योजना का एक अन्य उद्देश्य , उच्च स्पीड का इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध कराना तथा उनके इलाके में एक कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण करना है । 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ई - शासन योजना ने मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से प्रगति की शुरुआत तो कि , किन्तु देश मे ई - शासन की प्रभावी प्रगति करने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है । डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना तथा सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाज़े पर उपलब्ध कराना है । डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सभी नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना , डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना , निवेश तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाना तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत करना है । ई - गवर्नेंस मुख्यतः निम्न लिखित स्तंभों पर पर आधारित होता है - G2G (सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान) , G2B (व्यापार जगत के लिए डिजिटल सेवाएं) , G2C (नागरिकों को सरकारी सेवाओं की डिजिटल सुविधा) , G2E (सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल सेवाएं) |

डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में नागरिक केंद्रित पहल : इंटरनेट के बढ़ते दौर में भारत की वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं । डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई - गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है तथा इन्टरनेट के बढ़ते प्रभाव को और अधिक मजबूत कर जनता तक सरकारी सेवाओं व लाभों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है । डिजिटल इंडिया अभियान , प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस , जैसी पहलों ने भारत को डिजिटल रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । सरकार द्वारा 2016 में लॉन्च यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने अक्टूबर 2024 में 16 बिलियन से अधिक लेन- देन के दौरान 23.49 लाख करोड़ रूपये का भुगतान किया , जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है । वर्तमान में प्रचलित कुछ विशेष नीतियों व एप्पलीकेशन की जानकारी निम्नवत है -

- **माय गवर्मेंट एप्प** - भारतीय लोकतंत्र में सहभागिता को बढाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा माय गवर्मेंट एप्प लांच किया गया | यह मंच नागरिको को सरकार से जुड़ने और सुशासन के लिए अपना योगदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है । 26 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत के बाद से "माय गवर्मेंट" एप्प के 3.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं । इसके माध्यम से जनता सीधे सरकार के मंत्रालयों और विभागों की नीति - निर्माण प्रक्रियाओ में अपने सुझाव देती है तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमो पर अपनी राय रखती है । इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ने तथा नीतियों , कार्यक्रमों एवं प्रशासन में भाग लेना है , इस एप्प के माध्यम से सरकार जनमत संग्रह , सर्वेक्षण , वार्ता , प्रतिज्ञा तथा किसी योजना पर जनता की राय जानने के लिए पोल एवं सर्वे का आयोजन करती है , जिससे सरकार में जन साझेदारी बढ़ी है |
- **उमंग ऐप (UMANG - Unified Mobile Application for New-age Governance) :** भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत 2017 में लॉन्च यह एक प्रकार का मोबाइल एप्लिकेशन है , जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान और तेज़ पहुँच प्रदान करता है । इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का डिजिटल रूप में उपयोग करने का एक एकीकृत मंच प्रदान करना है । इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है । यह सरकार द्वारा पेश की गई एक ऑल - इन - वन सिंगल प्लेटफार्म एप्प है , जिसके जरिए उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल एक क्लिक पर उठा सकते हैं । इस एप्प के जरिए नागरिक आधार कार्ड , एल. पी. जी. गैस बुकिंग , बिजली बिल भुगतान , ई.पी.एफ.ओ. , एम-किसान , सी.बी.एस.ई. , डिजिटल लॉकर , पासपोर्ट सेवा जैसी 127 विभागों और लगभग सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं । उमंग ऐप में केंद्र और राज्य सरकार की 1000 से अधिक सेवाओं को एक साथ लाया गया है । उमंग ऐप को पूरे देश में जन सुलभ बनाने के लिए 23 भारतीय भाषाओं में सपोर्ट प्रदान किया गया है |

- **कॉमन सर्विस सेंटर** : भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी गाँवो में रहता है , इस प्रकार के केंद्र ग्रामीण आबादी को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का एक प्रयास है । इसका उद्देश्य ग्रामीणों को उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और सरकारी योजनओं के लाभ लेने के सीधे अवसर प्राप्त करने के लिए , सूचना तक पहुँच प्रदान करना है । इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तीसरे स्तम्भ "पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम - रूरल इंटरनेट मिशन" के तहत लागू किया जा रहा है । इसके अंतर्गत विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएँ - जन्म प्रमाण पत्र , पैन कार्ड , आधार सेवाएँ , मतदाता पहचान पत्र , बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ - डिजिटल बैंकिंग , बीमा , पेंशन योजनाएँ , शैक्षिक सेवाएँ - ऑनलाइन कोर्स , परीक्षा आवेदन , स्कॉलरशिप , स्वास्थ्य सेवाएँ - टेलीमेडिसिन , आयुष्मान भारत , स्वास्थ्य बीमा , डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स , बिल भुगतान , टिकट बुकिंग , ऑनलाइन शॉपिंग संबंधित सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं । ये सेवा केंद्र ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) को बढ़ावा देकर भारत और इंडिया के बीच की खाई को भरने का काम कर रहे हैं ।
- **आधार आधारित सेवाएं** : आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान पत्र है , जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI - Unique Identification Authority of India) द्वारा प्रबंधित किया जाता है । यह 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है , जो भारत के निवासी को जारी की जाती है । आधार कार्ड को सरकारी और निजी कार्यों में पहचान प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है । सब्सिडी , पेंशन , राशन कार्ड , गैस सब्सिडी , किसान योजना आदि के लिए आधार को अनिवार्य माना गया है , इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ , जैसे बैंक खाता खोलने , KYC प्रक्रिया , डिजिटल लेन-देन में आवश्यक डिजिटल पहचान , डिजीलॉकर , ऑनलाइन वेरिफिकेशन , ई-गवर्नेंस सेवाओं में भी आधार को पहचानपत्र के रूप में स्वीकार किया गया है । सरकार ने अब आधार धारक को स्वयं से घर बैठे अपने आधार में उल्लेखित पते को बदलने का भी विकल्प प्रदान कर दिया है |

- **ई - कोर्ट पोर्टल** (E-Court) : ई - कोर्ट , इस डिजिटल युग में न्यायपालिका के कार्यों को सरल, सुलभ , पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए विकसित किया गया है । ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कोर्ट की प्रक्रियाओं में तेजी लाने और पेपरलेस वर्क कल्चर को बढ़ावा देने में सहायक है | इस पोर्टल पर मुकदमों की सूची , कोई भी व्यक्ति अपने केस की स्थिति , अगली सुनवाई की तारीख , दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय आदि ऑनलाइन देख सकता है। साथ ही इसके जरिये कोर्ट फीस , जुर्माना और क़ानूनी दस्तावेजो की ऑनलाइन फाईलिंग भी की जा सकती है | इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व गति आई हैं तथा कागजी कार्यवाही में कमी हुई है , जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिला है ।
- **ई - ऑफिस** (**E- Office**) **:** भारत के सरकारी कार्यालय हमेशा से लालफीताशाही की बीमारी के शिकार रहे हैं , इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा ई - ऑफिस पोर्टल को लांच किया गया | इसके द्वारा न केवल सरकारी कार्यालयों के काम को जनता के लिए सरल , पारदर्शी , जबावदेह बनाने का प्रयास किया गया , बल्कि पर्वयारण को सुरक्षित रखने के लिए कार्यालयों को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है | कई बार भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कार्यालय में आग , जैसी सुनियोजित घटनाएँ हो जाती थी , परन्तु ई - ऑफिस पोर्टल पर फाइल सदैव के लिए उपलब्ध रहेंगी |
- **भारतनेट परियोजना** (BharatNet Project) : भारत नेट परियोजना , भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है , जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है । इसे राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में 2011 में शुरू किया गया था , जिसे बाद में भारतनेट नाम दिया गया । इसके मुख्य उद्देश्य हैं - देश के ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना , डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करना और ई-गवर्नेंस , ई-स्वास्थ्य , ई-शिक्षा , ई-कॉमर्स जैसी सेवाएं ग्रामीण भारत तक पहुंचाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर डिजिटल डिवाइड को कम करना ।

- **ई - एफ.आई.आर.** (**E - FIR**) **:** भारत में सदैव से पुलिस का ख़राब रवैया और एफ.आई.आर. न लिखने की खबरें आम रही हैं | जिससे लोकतंत्र को चोट पँहुचती है , क्योंकि जो जनता सरकार को चुनती है , सरकार का एक अंग उसकी ही बातों को नजरअंदाज कर रहा है | सरकार द्वारा इस समस्या के निवारण के लिए 2022 में ई - एफ.आई.आर. की सुविधा शुरू की गयी | इसके तहत व्यक्ति को थाने जाने की आवश्यकता नहीं अपितु व्यक्ति कहीं से भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मदद से शिकायत दर्ज करा सकता है | परन्तु इससे फर्जी एफ.आई.आर. को बढ़ावा न मिले , इसे रोकने के लिए व्यक्ति को 3 दिन के भीतर थाने में जाकर फॉर्म की कॉपी पर हस्ताक्षर करने होते है , अन्यथा एफ.आई.आर. फर्जी मान ली जाती है |
- **डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र** : बुजुर्ग नागरिकों के लिए नौकरी के बाद पेंशन जीवन यापन का एक मुख्य स्रोत होता है | पेंशनभोगी को हर साल किसी निर्धारित माह में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र अधिकृत एजेंसी में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर जमा करना पड़ता था | परन्तु इसमें कई प्रकार की समस्या थी , जैसे - वृद्ध पेंशन धारी का बैंक आना या कर्मचारी अपने परिवार के साथ किसी अन्य शहर में रहने लगा आदि | इन समस्याओं के निवारण के लिए सरकार ने इस पूरी प्रकिया को ही डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया | अब पेंशनभोगी , बैंक / सीएससी / सरकार द्वारा प्रमाणित किसी जीवन प्रमाण केंद्र से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा , जो आधार नंबर से जुड़ा होता है , डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है | साथ ही पेंशन देने के लिए उत्तरदायी एजेंसी इस प्रमाण पत्र को ऑनलाइन स्वयं भी चेक कर सकती है |
- **ई - श्रम पोर्टल :** असंगठित क्षेत्र के श्रम कामगारों के लिए बना , यह राष्ट्रीय डेटाबेस उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है | इसमें श्रमिक का नाम , पता , व्यवसाय , परिवार , शिक्षा आदि की जानकारी होगी , जो आधार से जुड़ा होगा | इस डेटाबेस का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य योजनाओं का लाभ पँहुचना है | असंगठित श्रमिकों में घरेलु सहायक , पटरी व्यवसायी , गिग कर्मचारी , भवन निर्माण के मजदूर तथा कृषि श्रमिक आदि शामिल होते है |

लोकतंत्र के डिजिटलीकरण में उपरोक्त पहलें तो केवल एक झलक मात्र है , डिजिटलीकरण ने लोकतंत्र को मजबूती के साथ - साथ जनता को भी पास लाने का काम किया है | कोरोना काल में जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों ने एक - दुसरे की सहायता की , वो भी लोकतंत्र के सशक्त होने का पर्याय है | क्योंकि केवल सरकार का जनता के लिए पँहुच होना ही , लोकतंत्र को सशक्त नहीं बनाता अपितु नागरिकों में आपसी भाईचारा भी लोकतंत्र को जीवंत रूप प्रदान करता है |

डिजिटल लोकतंत्र की चुनौतियाँ : समय के साथ उभरती नई प्रौद्योगिकी निरन्तर नए विकासात्मक अवसरों का निर्माण करती है , पर बढ़ती प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव के साथ ही अनेक प्रकार की समस्याए एवं चुनौती देखने को मिलती हैं । डिजिटल लोकतंत्र का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण और प्रभावी बनाना है । हालांकि , इसके समक्ष कई गंभीर चुनौतियाँ भी हैं , जो इसके समावेशी और प्रभावी होने में बाधा बन सकती हैं । डिजिटल डिवाइड , फेक न्यूज़ , डेटा सुरक्षा , साइबर अपराध जैसी समस्याएँ डिजिटल लोकतंत्र की सफलता के लिए बाधा बन सकती हैं । इन सभी चुनौतियों का विस्तार इस प्रकार हैं -

- **डिजिटल डिवाइड और असमानता** : भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी डिजिटल संसाधनों से वंचित है , विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय वर्गों में । इंटरनेट कनेक्टिविटी , स्मार्टफोन और कंप्यूटर तक सीमित पहुँच , लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित करती है तथा लैंगिक असमानता भी डिजिटल एक्सेस में देखी जाती है | जिसमें महिलाओं की डिजिटल साक्षरता पुरुषों की तुलना में कम है । इस समस्या के परिणामस्वरुप समाज का एक बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में डिजिटल रूप से भाग नहीं ले पाता तथा ऑनलाइन सरकारी सेवाओं , शिकायत निवारण प्रणाली , और सूचना तक पहुँच में असमानता बनी रहती है । इन्टरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही इसकी सभी लोगों तक समान रूप से पहूँच होनी भी आवश्यक है |
- **सूचना का दुरुपयोग** : सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों पर झूठी खबरें और अफवाहें तेजी से फैलती हैं । राजनीतिक दल और हित समूह दुष्प्रचार फैलाने के लिए बॉट्स और ट्रोल्स का

उपयोग करते हैं । बिना सत्यापन के वायरल होने वाली खबरें समाज में ध्रुवीकरण और सामाजिक अशांति को जन्म देती हैं । जिसके फलस्वरुप मतदाता गलत सूचना के आधार पर निर्णय लेते हैं । झूठी ख़बरों के फैलने से चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं |

- **डेटा सुरक्षा और निजता का प्रश्न** : सरकार और निजी कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए नागरिकों के डेटा की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है । आधार , चुनावी डेटा और बैंकिंग जानकारी जैसी संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा की चिंता निरंतर रहती है । कई बार नागरिकों की निजी जानकारी को बिना उनकी अनुमति के तीसरे पक्षों के साथ साझा किया जाता है । जिसके फलस्वरुप साइबर हमलों और डेटा लीक की घटनाएँ बढ़ रही हैं | इस प्रकार की बढ़ती घटनाएँ जनता को डिजिटलीकरण से दूर करने वाली सिद्ध हो सकती है |
- **साइबर अपराध और हैकिंग के खतरे** : डिजिटल लोकतंत्र में साइबर हमले , फिशिंग , हैकिंग और डाटा ब्रीच जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं । साइबर आतंकवाद और डिजिटल स्पाइंग (जासूसी) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं तथा डिजिटल चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं । नागरिकों के बैंकिंग और व्यक्तिगत डेटा की चोरी से आर्थिक नुकसान होता हैं , साथ ही नागरिकों की निजता का हनन होता है | ऐसे में लोग साइबर अपराधों से बचने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने से बचते हैं ।
- **ऑनलाइन सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** : सरकारें कभी-कभी डिजिटल प्लेटफार्मों पर विचारों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप लागू कर देती हैं , कई देशों में सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक या इंटरनेट शटडाउन किया जाता है | जिसमें गलत सूचना को रोकने के नाम पर वैध आलोचना और असहमति को भी दबाया जाता है , ऐसे में लोकतंत्र के मूलभूत अधिकार , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है | सेंसरशिप के माध्यम से असहमति रखने वाले पत्रकारों , एक्टिविस्टों और आम नागरिकों की आवाज दबाई जा सकती है | जिस कारण जनता तक सही सूचना नहीं पहुँच पाती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ कमजोर हो जाती हैं , इसलिए सेंसरशिप एवं इन्टरनेट शटडाउन जैसी गतिविधियों का उचित प्रयोग आवश्यक हो जाता है ।

- **डिजिटल साक्षरता की कमी** : भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का सही उपयोग करना नहीं जानते | डिजिटल तकनीकों और ई-गवर्नेंस सेवाओं को अपनाने में उम्र , शिक्षा और क्षेत्रीय असमानता एक बड़ी बाधा है | कई लोग डिजिटल माध्यमों से जुड़ने के बाद भी अपनी साइबर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते , जिस कारण लोग ऑनलाइन फ्रॉड , फेक न्यूज़ और साइबर अपराधों का शिकार हो जाते हैं | डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ई - गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है तथा डिजिटल समावेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है । ऐसे में डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी के समावेशन को बढ़ाने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय भिन्नताओं को खत्म कर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।
- **ऑनलाइन मतदान (E-Voting) से जुड़ी समस्याएँ** : भारत में वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हो रहा है , साथ ही ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली को लागू करने पर भी चर्चा जारी है , लेकिन इसके तकनीकी और नैतिक पहलुओं पर बहस अभी बाकी है | जिसमें ई-वोटिंग की सुरक्षा , निष्पक्षता और गोपनीयता को लेकर चिंता बनी रहती है । दूरस्थ मतदान के लिए विकसित तकनीकों में अभी भी कई खामियाँ हैं , चुनावों में हैकिंग या डेटा मैनिपुलेशन का खतरा बढ़ सकता है ।

निष्कर्ष : भारत में डिजिटलीकरण ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी , पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । ई-गवर्नेंस , डिजिटल मतदान , सोशल मीडिया की राजनीतिक गतिशीलता और नागरिक भागीदारी के नए साधनों ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं । राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध “सुषुप्त श्वान” के सिद्धांत , जो राजनेताओं के पक्ष में था , उसे सूचना क्रांति ने तोड़ने का काम किया है | क्योंकि अब डिजिटल लोकतंत्र में कोई भी जानकारी जनता से छुपी नही है , इसलिए जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक भी है | अब नागरिकों को सरकार द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नही लगाने पड़ते , ना ही योजनाओं के लाभ लेने के लिए बाबुओं के हाथ - पैर जोड़ने पड़ते है | अब सरकार की नीतियाँ में केवल कुछ लोगों का प्रभाव नही

होता , बल्कि अनके प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त जनता के सुझाव भी अपना प्रभाव डालते है | जनता अब केवल अपने सुझाव नहीं देती वरन अपनी माँगों को भी सरकार तक डिजिटल माध्यमों से आसानी से पंहुचा सकती है | इस डिजिटल बदलाव की हवा ने केवल उच्च वर्ग को ही नहीं अपितु वंचित तबकों को सरकार के पास ला दिया है , ई - श्रम पोर्टल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है | बैंक की लाइन में घंटो खड़ा रहने की परेशानी से निजात दिलाते हुए , सरकार द्वारा विकसित यू.पी.आई. पेमेंट प्रणाली के माध्यम से अब नागरिक 1 रूपये से लेकर 2 लाख रूपये तक , चंद सेकंड में ट्रांसफर कर सकते है | अब बुजुर्गो को अपने जीवित होने के प्रमाण देने के लिए लाइन में खड़ा नही होना पड़ता , एफ. आई. आर. लिखाने के लिए थाने के चक्कर नही लगाने पड़ते आदि , जैसे अनेकों सुविधाये नागरिको के दरवाजे पर उपलब्ध है और लोकतंत्र का यही तो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए कि , जनता के लिए सारी सुविधाएँ सुलभ हो | नवीन तकनीकों के प्रयोग से जनता के लिए , जो सुलभता बढ़ी है , वही असल लोकतंत्र की खुबसूरती है | हालांकि डिजिटल डिवाइड , साइबर सुरक्षा , गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और गलत सूचना जैसे मुद्दे भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं । क्योकि डिजिटलीकरण ने जितना जनता को लाभ पँहुचाया है , उतना ही इसके अविवेक पूर्ण प्रयोग ने जनता की निजी जानकारी और पैसे को खतरे में भी डाला है | इन खतरों से निपटने के लिए सरकार , नागरिक समाज और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को मिलकर काम करना होगा ।

आगे की राह : डिजिटल डिवाइस एवं प्रौद्योगिकी ने जहाँ एक तरफ प्रशासनिक गतिविधियों को आसान व सुलभ बना दिया है , वही दूसरी ओर इसके कारण अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं , जिनका समाधान निकालने की आवश्यकता हैं । डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए सरकार को डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने तथा ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों तक इन्टरनेट की सुविधा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए । साइबर अपराध व ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता हैं | मजबूत लोकतंत्र एवं समावेशी विकास हेतु यह आवश्यक है कि सभी नागरिको की समान रूप से प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ायी जा सके । डिजिटल साक्षरता बढ़ाना , मजबूत साइबर सुरक्षा नीतियाँ बनाना , फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करना और डिजिटल समावेशन को प्राथमिकता देना

, ये सभी कदम डिजिटल लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और समावेशी बना सकते हैं । डिजिटल लोकतंत्र ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी , पारदर्शी और उत्तरदायी बनने की ओर अग्रसर किया है । यदि उपरोक्त चुनौतियों का समाधान कर लिया जाये , तो यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त बना सकता है।

: संदर्भ सूची :

- Tripathi, S. N. & Ahmad, S. N. “A study on digital democracy and political participation of the youth” , Shodhak: A Journal of Historical Research, 53(2), 100-115 , 2023
- Sahoo, J. , “Dharma and digital democracy: An Indian perspective on participatory governance” , Journal of Social Sciences & Humanities , 21(2), 394-410 , 2024
- Jayal, N. G. , “Democracy in India” , Oxford University Press , Delhi , 2007
- Mehta, P. B. , “The burden of democracy” , Penguin Books India , Gurugram , 2003
- Pal, J. , “Cyber politics in India: India’s digital battle for democracy” , Oxford University Press , Delhi , 2017
- Malhan, I. V., & Gulati, A. , “Impact of digital divide on developing countries with special reference to India” , SRELS Journal of Information Management, 40(4), 321-336 , 2003
- Manikanta, K. , “Digital India Programme and impact of digitalization in improving quality of life of citizens” , Adarsh Journal of Management Research, 11-15, 2017

- Ganguly, S. , “Democracy and Digital Misinformation in India” , Routledge ,New Delhi , 2021
- Chakrabarty, B. , & Pandey, R. K. , “Indian Government and Politics” , SAGE Publications , New Delhi , 2008
- Tripathi , Arimardan Kumar , “ Bhasha avam digital loktantra” , Astral international private limited , New Delhi , 2019
- National portal of india , https://www.india.gov.in/ ,accessed on 24/03/2025
- Our impact , https://www.digitalindia.gov.in/ , accessed on 26/03/2025
- Jeevan pramaan, https://jeevanpramaan.gov.in/ , accessed on 01/04/2025
- Tripathi , shashank & Upadhyay , Mamata , “social media : suchana ka setu ya farji khabar ka adda” , PRAJNANA , 15 (1) 2024 ,1-5 .(https://doi.org/10.59467/PJ.2024.15.XX)
- E-Shram shramev jayate , Ministry of Labour and Employment, https://eshram.gov.in/hi/e-shram-objectives , accessed on 01/04/2025
- E - FIR Process…… ,https://zeenews.india.com/hindi/india/up-uttarakhand/photo-gallery-how-to-register-fir-online-process-step-by-step-process-in-hindi-kaise-karayen-online-fir/2422013 , accessed on 01/04/2025
- World press freedom day ……. , https://www.jagran.com/news/national-what-is-india-challenge-in-digital-democracy-what-are-the-rules-to-curb-the-press-in-the-country-jagran-special-22682838.html , accessed on 31/03/2025
- UPI : Bharat ……. , https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2079611 , accessed on 02/04/2025